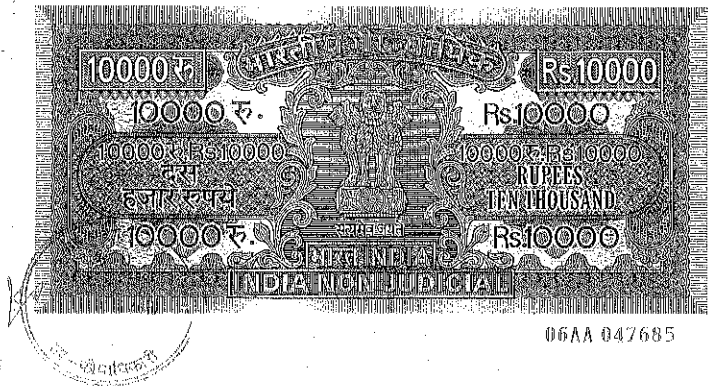




12

मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब
बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से
फरीक अब्बल व वारिसान फरीक अब्बल का कोई वास्ता
या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा

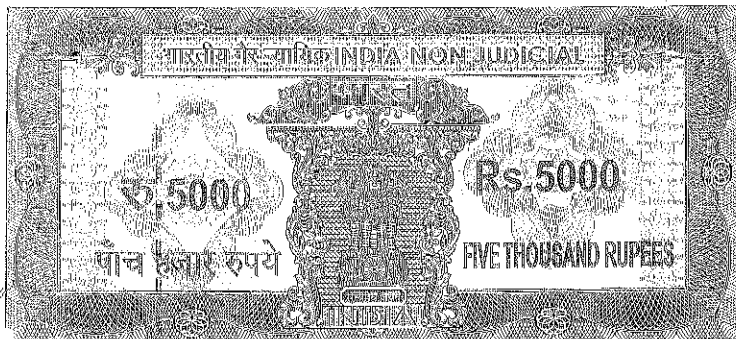
Rm 8/47

J



कार्यालय लघु वित्त विभाग राजस्थान	
16 FEB 2011	
आवक नं० 44	18
रकम नं० 0	में साक्षि विधा तथा लघु वित्त विभाग





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 166752

13

ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को
बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज
की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व

Rm 3/1



24

21/01/10

संख्या दिनांक.....स्थान दिनांक की तिथि.....

संख्या का प्रकार का प्रयोग.....

स्थान की संख्या का नाम का पता.....

स्थान की संख्या का नाम का पता.....

अधीकृत कुमार संस्था विज्ञापन

संस्था का नाम, पता की संख्या दिनांक 2010

संस्था का नाम, पता की संख्या दिनांक 2010

संस्था का नाम, पता की संख्या दिनांक 2010





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 166753

14

अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावे। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुकस कानूनी कमी आदि के कारण

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



रकम रु० ३००००/- रकम लिखत की तिथि 11/01/16

रकम देय करने का अधिकार

प्रमाण केन्द्र का नाम व पता

रकम की अवधि 5/12/15

आशोक कुमार स्वामी विवेकानंद

प्रादेशिक ३, लो. की अवधि 01-01-2016

सहकारी समुदाय, लो. की

मिळी कीमत 45000/-





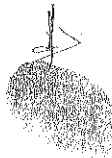
बल्लर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 035810

15

से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा
या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल
मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य

R 10 8 2021



21
20..... 11/01/10

राज्य प्रभु कार्यालय प्रमुख.....

राज्य प्रभु कार्यालय प्रमुख.....

राज्य प्रभु कार्यालय प्रमुख.....

अशोक कुमार राय

सहायक प्रभु कार्यालय प्रमुख

सहायक प्रभु कार्यालय प्रमुख

सहायक प्रभु कार्यालय प्रमुख



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 035819

16

किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल
या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में
फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजार
कीमत को जिस प्रकार चाहे बजारिये अदालत फरीक

20/8/21



32
28
रक्षात्मक कार्य... रक्षात्मक कार्य की तिथि... 11/04/10

रक्षात्मक कार्य करने का प्रयोजन...

रक्षात्मक प्रोत्सा का नाम व पता...

रक्षात्मक की कक्षा... 2...

अशोक कुमार रक्षात्मक

राष्ट्रीय सेवा भवन, जालंधर 151001

राष्ट्रीय सेवा कक्षा, जालंधर

विद्यार्थी सीमा 15000/-



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTER PRADESH

L 035820

17

अब्दल व वारसाज फरीक अब्दल की अन्य चल व अचल
सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा।
दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोषम के

Rm. 5/2

9/



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

I. 035821

18

करा देगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर
सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा ले तो
कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा
आस-पास भी कृषि भूमि है।

Rm 2/11

1



34

11/01/10

स्वामी जय कृष्ण का प्रयोग

स्वामी जय कृष्ण का प्रयोग

स्वामी की शक्ति

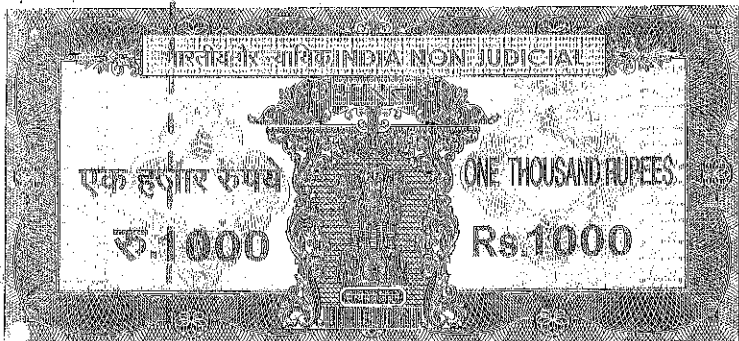
अशोक कुमार स्वामी विक्रम

संस्कृत 10 व, भाग 10 व, भाग 10 व

पुस्तकालय, पारस

पिछी सीमा 150007





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1. 040868

19

वितरण सम अवसंधी :- द्वारा एकाउन्ट पेयी दो किता चैक नं० 976326 अंकन 20,00,000/- रुपये व चैक नं० 976327 अंकन 19,40,000/- रुपये प्रत्येक दिनांक 10-02-2010 इस प्रकार कुल अंकन 39,40,000/- रुपये के चैक पंजाब नेशनल बैंक, मिड कॉर्पोरेट शाखा ए-9 कर्नाट पैलेस, नई दिल्ली के द्वारा तथा शेष अंकन 2,95,000/- रुपये पेसगी इस प्रकार कुल अंकन 42,35,000/- रुपये फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दीयम (केता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

Rodan

[Signature]



कायस्थिपुत्र सुप कोषागार

10 FEB 2000

पुस्तक नं० 15

वर्ष नं० 23 से शामिल किया गया

उप शोकादिना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 040869

20

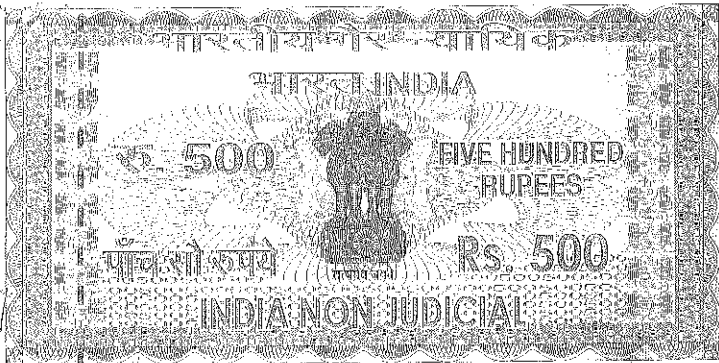
उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल द फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चरपा फोटी गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

R M S



जनाधिकार सचिवालय
 10 FEB 2010
 फाइल नं. 16
 प्रमाण नं. 3-1
 3-1 यादव शिवा मया
 हवा शेकरिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

L 326097

अतः यह विक्रय पत्र फर्माई लिखा गया कि प्रमाण रहे और स्वतः पर काम आवे। इति॥

Rm 8-21



गवाह - 1. Anil Bhat (Dohri)

(Signature)



गवाह - 2. *(Signature)*
जिला दारोगा



तारीख 10-02-2010 ई0 गसीदाकर्ता राधेहराम अग्रवाल वैशाली
लेखक, दारोगा (गौतमबुद्धनगर) लाइसेंस नं0-1 राधेहराम अग्रवाल
वैशाली लेखक ला.नं.-1
गौतमबुद्धनगर

कायसलिय लप कोषागार	
दादरी	
10 FEB 2010	
समाप्त नं० 12	मे शांति किया गया
समाप्त नं० 12	लप रोकड़िया

कायसलिय लप कोषागार दादरी

माम दिनांक 10/2/10 को प्रोसेस
 नं० पुताक संख्या 7 को प्रोसेस
 के पृष्ठ 237 पर नम संख्या 1529
 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

— G. D. —
 क उपविभागाध्यक्ष

